



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 75]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

का.आ. 75(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद; संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06 नवंबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया गया ।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :-

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 06 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325 (अ) और उसके संशोधन में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	चुनाव का तरीका
34.	द तमिल नाडु डॉ. एम् जी आर मेडिकल विश्वविद्यालय, चेन्नै	(i) डॉ. डी. शांताराम, कुलपति, द तमिल नाडु डॉ. एम् जी आर मेडिकल विश्वविद्यालय, गिंडी, चेन्नै - 600 032 सं. 49, के ब्लाक, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नै - 600 102 (ii) डॉ. सुधा सेशय्यन, निदेशक व प्रोफेसर, इंस्टिट्यूट ऑफ़	सेनेट द्वारा निर्वाचित

		<p>एनाटोमी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नै - 600 003. नई सं. 1, पुरानई सं. 8, सोमसुंदरम स्ट्रीट, क्रोमपेट, चेन्नई—600 044</p> <p>(iii) डॉ. एल. पी. थन्गवेलु, सहायक प्रोफेसर, कर्पगम फैकल्टी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एवं अनुसंधान, कर्पगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ओथाक्काल्मादापम, कोयम्बटूर - 641 032 सं. 989, अविनाशी रोड, कोयम्बटूर - 641 018</p>	
35.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	डॉ. चंद्र कुमार चहर, प्रोफेसर, सी-80, सदुलगंज, बीकानेर, राजस्थान	प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्वाचित

[सं. वी-11013/1/2013-एम ई पी-I (वोल. II)]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—दिनांक 9 जनवरी, 1960 की संख्या का.आ.138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

S.O. 75(E).— Whereas on 6th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and as informed by the respective universities/health science universities, the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 3325(E), dated the 6th November, 2013 and amendments thereto, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of the University	Details of the Elected Member	Mode of Election
34.	The Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai	<p>(i) Dr. D. Shantharam, Vice-Chancellor, The Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Guindy, Chennai-600 032. No. 49, K. Block, Anna Nagar East, Chennai - 600 102</p> <p>(ii) Dr. Sudha Seshayyan, Director & Professor, Institute of Anatomy, Madras Medical College, Chennai-600 003.</p>	Elected by the Senate

		New No. 1, Old No. 8, Somasundaram Street, Chrompet, Chennai-600 044 (iii) Dr. L.P. Thangavelu, Assistant Professor, Karpagam Faculty of Medical Sciences & Research, Karpagam Medical College & Hospital, Othakkalnadapam, Coimbatore - 641 032 No. 989, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018	
35.	Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur	Dr. Chandra Kumar Chahar, Professor, C-80, Sadulganj, Bikaner, Rajasthan	Elected by the Board of Management

[No. V-11013/1/2013-MEP-I (Vol. II)]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 138, dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).